संख्या- 67/2023/587/छप्पन-2023-52/2017

प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ, दिनांक: 05 जून, 2023

विषय: उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति के अनुसार स्पाईसजेट लिमिटेड को S-GST की प्रतिपूर्ति किए जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27/आर0सी0एस0-2023-जी-3/2019 दिनांक 01 मई, 2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से स्पाईसजेट के पत्र दिनांक 18 जून, 2022 द्वारा संचालित की गई आर0सी0एस0 एवं नॉन आर0सी0एस0 उड़ानों हेतु उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए State Incentives Eligibility Certificate के परिप्रेक्ष्य में एयर टिकटों की बिक्री पर जमा की गई S-GST की कुल धनराशि रू0 1,72,01,113/- (रूपए एक करोड़ बहत्तर लाख एक हजार एक सौ तेरह मात्र) की प्रतिपूर्ति किए जाने का अनुरोध किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

एयर रूट	**फ्लाइट नम्बर**	**नीति के अन्तर्गत जारी सर्टिफिकेट नं0 व दिनांक**	**सर्टिफिकेट वैधता की अवधि**	**S-GST क्लेम करने की अवधि**	**S-GST के मद में जमा की गई धनराशि जिसका क्लेम किया गया है**
वाराणसी-अहमदाबाद (नॉन आर0सी0 एस0)	SG 972	25/CADUP/Non-RCS/C-2/2018 दिनांक-12.09.2018	12.09.2018 से 11.09.2019	सितम्बर 2018 से सितम्बर 2019 तक	38,07,548/-
वाराणसी-जयपुर (नॉन आर0सी0 एस0)	SG 2981	23/CADUP/Non-RCS/C-2/2018 दिनांक-12.09.2018	12.09.2018 से 11.09.2019	अक्टूबर 2018 से सितम्बर 2019 तक	14,84,739/-
कानपुर-मुम्बई (नॉन आर0सी0 एस0)	SG 415	42/CADUP/Non-RCS/C-2/2018 दिनांक-06.10.2018	08.10.2018 से 07.10.2019	अक्टूबर 2018 से अक्टूबर 2019 तक	68,31,667/-
वाराणसी-उदयपुर (नॉन आर0सी0 एस0)	SG 3772	48/CADUP/Non-RCS/C-2/2018 दिनांक-29.11.2018	30.11.2018 से 29.11.2019	नवम्बर 2018 से सितम्बर 2019 तक	4,28,523/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कानपुर - कोलकाता (नॉन आर0सी0 एस0)	SG 378	44/CADUP/Non-RCS/C-2/2018 दिनांक-29.10.2018	01.11.2018 से 31.10.2019	नवम्बर 2018 से अक्टूबर 2019 तक	11,72,436/-
कानपुर-दिल्ली (आर0सी0एस0)	SG 8746	14/CADUP/RCS/C-2/2018 दिनांक-31.05.2018	03.07.2018 से 02.07.2021	जुलाई 2018 से मार्च 2020 तक	28,06,579/-
कानपुर-बैंगलोर (नॉन आर0सी0 एस0)	SG 726	50/CADUP/ Non-RCS/C-2/2019 दिनांक-26.02.2019	01.03.2019 से 28.02.2020	मार्च 2019 से फरवरी 2020 तक	1,75,746/-
कानपुर-अहमदाबाद (नॉन आर0सी0 एस0)	SG 3786	68/CADUP/ Non-RCS/C-2/2019 दिनांक-25.09.2019	25.09.2019 से 24.09.2020	अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 तक	4,93,875/-
				योग	**1,72,01,113/-**

2- आर0सी0एस0 उड़ानों के हवाई टिकटों की बिक्री पर S-GST के समतुल्य राशि (To be Retained by Airlines) की प्रतिपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश नागर विमानन नीति 2017 के वर्जन-2 के विभिन्न प्रस्तरों में निम्नलिखित व्यवस्थाएं वर्णित हैं:-

<u>प्रस्तर-8.5.2.4</u> Reimbursement of amount (to be retained by airlines) equivalent to SGST on sale of air tickets on RCS flights:

The airlines will be reimbursed an amount (to be retained by airlines) equivalent to S-GST received by state government on account of sale of air tickets on RCS flights on monthly basis for three years from the date of commencement of operations or from the date of issuance of eligibility certificate, whichever is later.

<u>प्रस्तर-7.1</u> Provisions for connecting non-RCS airports in U.P. with non-RCS airport outside U.P. :

<u>प्रस्तर-7.1.2</u> Reimbursement of amount (to be retained by airlines) equivalent to S-GST on sale of air tickets on new flights:- The airlines will be reimbursed an amount (to be retained by airlines) equivalent to S-GST received by state government on account of sale of air tickets on new flights on monthly basis for one year from the date of commencement of operations or from the date of issuance of eligibility certificate, whichever is later.

http://shasanadesh.up.gov.in

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति में विहित व्यवस्थानुसार स्पाईसजेट लिमिटेड द्वारा सम्पादित की गयी आर0सी0एस0 एवं नॉन आर0सी0एस0 उड़ानों हेतु टिकटों की बिक्री पर SGST के मद में यात्रियों से चार्ज व राजकोष में जमा की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु रू0 1,72,01,113/- (रू0 एक करोड़ बहत्तर लाख एक हजार एक सौ तेरह मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रू0 1,72,01,113/- (रू0 एक करोड़ बहत्तर लाख एक हजार एक सौ तेरह मात्र) व्यय हेतु अवमुक्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(4) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति-2017 में आर0सी0एस0 तथा नॉन आर0सी0एस0 उड़ानों के लिए S-GST की प्रतिपूर्ति के संबंध में निर्धारित प्राविधानों/ शर्तों/नियमों/प्रक्रिया के अनुपालन के संबंध में स्वस्तर से संतुष्ट हो लेंगे।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान संख्या-38 के राजस्व लेखा लेखाशीर्ष "3053- नागर विमानन-01-हवाई सेवाएं-800-अन्य व्यय-03-उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-42-अन्य व्यय" से वहन की जाएगी।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: ई-7-22/दस-2023-24, दिनांक 02 जून, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पृ0सं0: 67/2023/587(1)/छप्पन-2023-52/2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार ई0एस0।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-।, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10 ।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7.

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।